संख्या–88 / 14–2–2017–800 (88) / 2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 07 मार्च **2017**

विषयः– सम्भल में आगरा–मुरादाबाद मार्ग (एन0एच0–93) किमी0 146 की बांयी पटरी पर ग्राम–रसूलपुर के खसरा सं0–149 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.2138 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 8 वृक्षों के पातन की अनुमति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या–8बी / यूपी / 06 / 56 / 2016 / एफसी / 161, दिनांक 29–6–2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–1497 / सम्भल / 14361 / 2016, दिनांक 17–01–2017 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 17–01–2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बंध में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–88(1) / 14–2–2017–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।